झारखण्ड सरकार

# झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
# स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
# नामकुम, राँची।

## प्रेस विज्ञप्ति

### सभी प्रकार के प्रजनन स्वास्थ्य/परिवार नियोजन का समीक्षा

दिनांक 27.04.2015 तथा 28.04.2015 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य/परिवार नियोजन का समीक्षात्मक बैठक का आयोजन राज्य आर0सी0एच0 सभागार, नामकुम, राँची में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डा0 सुमंत मिश्रा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड के द्वारा किया गया।

इस बैठक में राज्य स्तर के डा0 रमेश प्रसाद, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, डा0 ए0के0चौधरी, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, डा0 राज मोहन, राज्य अन्धापन नियंत्रण कार्यक्रम पदाधिकारी, डा0 ए0डी0एन0 प्रसाद, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, श्रीमति अकाई मिंज, राज्य कार्यक्रम समन्वयक, श्रीमती गुंजन खलखो, राज्य परिवार नियोजन समन्वयक तथा श्रीमती शान्तना कुमारी, डेमोग्राफर, परिवार नियोजन कोषांग ने भाग लिया। समीक्षात्मक बैठक में प्रतिभागी के रूप म सभी जिलो अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला लेखा प्रबंधक ने भाग लिया

समीक्षात्मक बैठक का मुख्य उद्धेश्य सभी प्रकार के प्रजनन स्वास्थ्य/परिवार नियोजन का राज्य में स्थितियों, उपलब्धियों, गतिविधियों, वित्तीय खर्च की स्थिति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 का कार्य योजना का समीक्षा करना है। बैठक में प्रशिक्षण का मुद्दा, मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य तथा सामुदायिक उत्प्रेरण कोषांग का समीक्षा किया गया ।

समीक्षा के दौरान निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ ने जिलों में RMNCH+FP Councellors की नियुक्ति प्रक्रिया अतिशीघ्र करने का निदेश दिया। इनकी नियुक्ति हो जाने से कार्यक्रम के कार्यो में गति आ जाएगी। उन्होने सरकारी तथा गैर सरकारी चिकित्सक का Empanelment District Quality Assurance Committee द्वारा करने का निदेश दिया गया। निरन्तर सभी सेवा प्रदातओं के कार्यो का माहवार समीक्षा करने का उन्होने प्रतिभागियों को निदेश दिया। उन्होने सहिया द्वारा कण्डोम, गर्भ निरोधक गोली तथा आपातकालीन गोली का वितरण का प्रचार–प्रसार कर योग्य दम्पति को इससे लाभान्वित करने का निदेश दिया। उन्होने Fixed Day Approach के कार्यो में लापरवाही तथा गैर जिम्मेवार पदाधिकारियों तथा कर्मियों पर कार्यवाही करने को कहे। लाभुक तथा सहिया के प्रोत्साहन राशि में लापरवाही अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं देने की स्थिति में दोषियों को चिन्हित कर उस पर प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निदेश दिए।

**(राज्य आई0ई0सी0 नोडल पदाधिकारी)**